सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

संख्या-109/1050/84-डे0ई0-13-नि0-11/2012

प्रेषक,

धर्मचन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 27 दिसम्बर, 2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदक श्री आनन्द कुमार तिवारी, को सूचना दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-92/84-डे0ई0-13-नि0-11/2012, दिनांक 10-6-2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवेदक श्री आनन्द कुमार तिवारी द्वारा श्री राजीव कुमार सेठ, सहायक ग्रेड-2 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय लखनऊ के विरूद्ध लगाये गये अरोपों के संबंध में यदि आवेदक श्री तिवारी से साक्ष्य प्राप्त हो गया हो तो कृपया उसी के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही करते हुए आवेदक को बिन्दुवार सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें, तथा उपलब्ध करायी गयी सूचना की एक प्रति शासन को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in/